इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. 2086-126-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 मार्च 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०११

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक ३१ मार्च, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३१ मार्च, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निदिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची १-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,—

(एक) अनुच्छेद ५ में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ)	यदि वह ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के विकास या उस पर भवन के निर्माण से संबंधित है.	करार में यथा वर्णित प्रस्तावित निर्माण या विकास के प्राक्कलित व्यय के बराबर बाजार मूल्य का तीन प्रतिशत.";

(दो) अनुच्छेद २२ में, कालम २ में, परन्तुक में, खण्ड (छ) का लोप किया जाए;

(तीन) अनुच्छेद ४५ में, खण्ड (घ) में उपखण्ड (एक) के सामने, कालम (२) में, शब्द, "एक सौ रुपए" के स्थान पर, शब्द, "एक हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. 2087-126-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 8 of 2011

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2011

[Received the assent of the Governor on the 31st March, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st March, 2011.]

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of Central Act No. 2 of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) (hereinafter referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amedment of Schedule I-A.

3. In Schedule 1-A to the principal Act,—

(i) in Article 5, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d)	If relating to the development of land or construction of a building on a land by a person other than the owner or lessee of such land.	Three percent on the market value equal to the Estimated cost of the proposed construction or development as mentioned in the agreement.";

(ii) in Article 22, in column (2), in the proviso, clause (g) shall be omitted;

(iii) in Article 45, in clause (d), against sub-clause (i), in column (2), for the words "One hundred rupees", the words "One thousanad rupees" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.